प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दांडिक अपील क्रमांक – 716/1993
युगल पीठ

कोरम : **माननीय श्री टी०पी० शर्मा एवं**
माननीय श्री आर०एल० झंवर, न्यायमूर्तिगण

यशवंत कुमार कलार

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत
दिनांक 9.11.2009 हेतु सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(सही/-)
श्री टी०पी० शर्मा,
न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर०एल० झंवर

(सही/-)
श्री आर०एल० झंवर,
न्यायाधीश

निर्णय हेतु 19.04.2010 को सूचीबद्ध करें।

(सही/-)
न्यायाधीश
19.04.2010

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक – 716/1993

युगल पीठ

कोरम : **माननीय श्री टी०पी० शर्मा एवं**
माननीय श्री आर०एल० झंवर, न्यायमूर्तिगण

अपीलार्थी यशवंत कुमार कलार आत्मज बर्कू कलार, उम्र लगभग 22 वर्ष, साकिन- ग्राम- मढ़वा, पुलिस थाना- बिलाईगढ़, जिला- रायपुर

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना- बिलाईगढ़, जिला- रायपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थित -
अपीलार्थी हेतु - श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी, अधिवक्ता
राज्य/प्रत्यर्थी हेतु - श्री आशीष शुक्ल, शासकीय अधिवक्ता

निर्णय

(19.04.2010)

न्यायालय का अधोलिखित निर्णय **टी०पी० शर्मा, न्यायमूर्ति** द्वारा प्रदत्त किया गया।

(1) यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 315/91 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 8.6.1993 से व्यथित हो कर दायर कि गई है, जिसके द्वारा एवं जिसके अंतर्गत माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को गौतरहिनबाई के साथ बलात्कार कारित करने तथा उसका आपराधिक मानव वध, जो कि हत्या के कोटि में आता है, का दोषी ठहराते हुए, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं

302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया तथा उसे दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं आजीवन कारावास से दंडित किया गया।

(2) दोषसिद्धि के निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि विश्वसनीय एवं निर्णायक साक्ष्य के अभाव में तथा दुकलाबाई (अ०सा०-2) एवं गोटीलाल (अ०सा०-3) के अग्राह्य साक्ष्य पर आधारित होकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध ठहराते हुए दंडित किया गया है और इस प्रकार अविधिकता कारित की है।

(3) अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 02.03.1991 को गौतरहिनबाई (मृतका) गोबर एकत्रित करने हेतु दुकलाबाई (अ०सा०-2) के साथ अपने घर से बाहर गई थी। घटनास्थल, अर्थात् चौहबहेरा नाला के समीप अपीलार्थी उपस्थित था। अपीलार्थी द्वारा मृतका की एकांत अवस्था का लाभ उठाते हुए उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध स्थापित किया गया तत्पश्चात उसकी साड़ी को उसके गले में लपेटकर गला दबाया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात मृतका अपीलार्थी द्वारा गौतरहिनबाई के मृत शरीर को घसीटते हुए नहर में फेंक दिया गया। मृत शरीर पानी में तैरता हुआ पाया गया, जिसे ग्रामीणों द्वारा देखा गया। मृतका के पति बेदुल द्वारा मर्ग सूचना प्रदर्श पी/10 दर्ज कराया गया। अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटना स्थल पर पहुँचकर साक्षीगण को तलब किया तथा गौतरहिनबाई के शव का पंचनामा प्रदर्श पत्र प्रदर्श पी/1 तैयार किया गया। घटनास्थल के पास घसीटने के निशान पाए गए। घटना स्थल से गोबर से भरी एक बाँस की टोकरी जब्त की गई, जिसका जप्ती पत्र प्रदर्श पी/2 है। घटनास्थल के समीप से चप्पलें जब्त की गईं, जिसकी जप्ती प्रदर्श पी/3 है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा स्थल नक्शा प्रदर्श पी/6 एवं प्रदर्श पी/11 तैयार किया गया। मर्ग जांच के दौरान दुकलाबाई (अ०सा०-2) एवं गोटीलाल (अ०सा०-3) से पूछताछ किया गया तथा देहाती नालिशी प्रदर्श पी/12 दर्ज किया गया। देहाती नालिशी के आधार पर प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी/12अ पंजीबद्ध किया गया। कपड़े एवं स्लाइड जब्त किया गया जिसका जप्ती पत्रक प्रदर्श पी/17 है। मृतका के शव का परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बिलाईगढ़ भेजा गया, जिसका प्रेषण पत्र प्रदर्श पी/7अ है। डॉ. चंद्रशेखर पटेल (अ०सा०-7) द्वारा शव परीक्षण किया गया, जिनका प्रतिवेदन प्रदर्श पी/7 है, जिसमें निम्नलिखित लक्षण एवं चोटें पाई गईं:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

क) नाक से झाग जैसा खून बह रहा था, जीभ बाहर निकली हुई थी और दांतों से पीसी हुई थी, पुतलियाँ फैली हुई थीं और लाल थीं, मल द्वार में मल मौजूद था और जननांग पतला था। शरीर पर कीचड़ था;

ख) एक कटा हुआ घाव बाईं भौंह के ऊपरी हिस्से पर जिसका आकार 3.5 सेमी x 2.5 सेमी था;

ग) एक खरोंच दाहिनी कोहनी के जोड़ पर जिसका आकार 2.5 सेमी x 2 सेमी था;

घ) खरोंच पीठ पर जिसका आकार 1.5 सेमी x 1 सेमी और 2 सेमी x 1 सेमी था;

ङ) दो खरोंच ठोड़ी के ठीक नीचे गर्दन के ऊपरी हिस्से पर जिसका आकार 3/4 सेमी x .5 सेमी और .5 सेमी x 1/4 सेमी था;

च) एक खरोंच पीठ पर जिसका आकार 2 सेमी x 3/4 सेमी था;

छ) एक खरोंच दाहिने घुटने पर जिसका आकार 2 सेमी x 1.5 सेमी था;

ज) एक खरोंच दाहिने गाल पर जिसका आकार 1.5 सेमी था;

झ) एक खरोंच योनि के ऊपरी हिस्से पर जिसका आकार 1.5 सेमी x 1.5 सेमी था;

आंतरिक परीक्षण में मृतका के गुप्तांग के भीतर वीर्य-सदृश द्रव पाया गया था, जिसे निकालकर सील किया गया। मृतका की बाईं ओर की 9वीं एवं 10वीं पसलियों में फ्रैक्चर तथा तिल्ली के फटने का भी पता चला। मृत्यु का कारण गला दबाए जाने से उत्पन्न श्वासावरोध पाया गया तथा यह भी प्रमाणित हुआ कि मृतका की मृत्यु से पूर्व उसके साथ संभोग किया गया था। प्रदर्श पी/8अ के माध्यम से बलात्कार की घटना के संबंध में प्रश्न डॉक्टर से किया गया, जिस पर डॉक्टर ने उत्तर दिया कि मृतका के साथ घटना के समय संभोग किया गया था। जाँच के दौरान अभियुक्त से पूछताछ की गई, उसे हिरासत में लिया गया तथा उसने अपने कपड़ों के संबंध में कथन दिया। अभियुक्त के बताए अनुसार उसके कपड़े जब्त किए गए, जिसकी कार्यवाही प्रदर्श पी/5 में अंकित है। पटवारी ने मौका नक्शा प्रदर्श पी/13 तैयार किया। अभियुक्त को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया। डॉ. चन्द्रशेखर पटेल (अ०सा०–7) ने आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण प्रदर्श पी/9 के अनुसार किया, जिसमें उसके बाएँ हाथ पर 1½ सेमी x 1 सेमी खरोंच तथा बाएँ घुटने पर 1 सेमी x 0.5 सेमी का खरोंच पाया गया। वह संभोग करने में सक्षम पाया गया। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया, जिसमें मृतका की वेजाइनल स्लाइड, अपीलार्थी के अधोवस्त्र, मृतका के कपड़ों पर पाए गए रक्त, तथा मृतका की वेजाइनल स्लाइड में वीर्य तथा मानव शुक्राणु की उपस्थिति प्रमाणित हुई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) साक्षीगण के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के अधीन दर्ज किए गए तथा विवेचना पूर्ण होने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलौदा बाजार के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, रायपुर के समक्ष विचारण हेतु उपार्पित किया। तत्पश्चात उक्त प्रकरण अंतरण पर सत्र विचारण हेतु माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार को प्राप्त हुआ।

(5) अभियुक्त/अपीलार्थी के दोष को सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 10 साक्षीगण का परीक्षण कराया गया। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलेखित किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध आए समस्त परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से इनकार कर स्वयं को निर्दोष बताते हुए यह कथन किया कि दुश्मनी के कारण उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है।

(6) उभय पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा उपर्युक्तानुसार अपीलार्थी को दोषसिद्ध का आदेश पारित करते हुए दंडित किया गया।

(7) हमने उभय पक्षकार के विद्वान अधिवक्तागण को सुना, आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का परिशीलन किया।

(8) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कड़ा विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें मृतका गौतरहिनबाई के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की गई है, तथापि केवल बलात्कार एवं हत्या की जघन्य प्रकृति के आधार पर, किसी भी ग्राह्य एवं वैधानिक साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी पर दायित्व अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। बलात्कार एवं हत्या जैसे आरोपों के मामलों में अभियोजन पर यह कठोर दायित्व होता है कि वह अपराध को संदेह से परे, पूर्णतया प्रमाणित करे। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य के अनुसार, मृतका गौतरहिनबाई के साथ बलात्कार एवं उसकी हत्या होना मुख्य रूप से विवादित नहीं है। अभियोजन द्वारा अपीलार्थी को प्रकरण से जोड़ने का प्रयास दुकलाबाई (अ०सा०-2) एवं गोटीलाल (अ०सा०-3) के साक्ष्य के आधार पर किया गया है, जिन्होंने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया है। तथापि, उनके साक्ष्य एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दर्ज उनके कथनों में विरोधाभास है तथा परस्पर भी एक-दूसरे के साक्ष्यों से मेल नहीं करते हैं। दुकलाबाई (अ०सा०-2) ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने सर्वप्रथम घटना देखी, तत्पश्चात गोटीलाल (अ०सा०-3) वहाँ आया, जिसके बाद वह गोबर से भरी टोकरी लेकर अपने घर चली गई; जबकि गोटीलाल (अ०सा०-3) के साक्ष्य के अनुसार, दुकलाबाई (अ०सा०-2) के घटनास्थल से चले जाने के पश्चात उसने अपीलार्थी द्वारा घटना को अंजाम देते हुए देखा था। यह साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि मानो अपीलार्थी द्वारा एक ही व्यक्ति के साथ दो बार बलात्कार तथा दो बार हत्या की दो घटनाएँ घटित हुई हों, जो विधिक दृष्टि से असंभव है। इसके अतिरिक्त, इन साक्षीगण द्वारा मृतका के परिजनों एवं पुलिस द्वारा पूछताछ के बावजूद लंबे समय तक उक्त तथ्य को छिपाए रखा तथा जब पुलिस उन्हें थाना लेकर गई, तब अत्यधिक विलंब के उपरांत उन्होंने उक्त तथ्य का कथन किया। साक्षीगण का ऐसा आचरण संदेहास्पद है और बलात्कार एवं हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने हेतु अविश्वसनीय है। संदेह चाहे जितना भी प्रबल क्यों न हो, वह विधिसम्मत प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **शंकर उर्फ़ टुनू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**[1] के प्रकरण में पारित निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि साक्षीगण द्वारा हत्या किए जाने के तथ्य का विलंब से प्रकटीकरण किया जाना तथा घटना के समय उपस्थित होने के बावजूद मर्ग के दौरान उक्त तथ्य का खुलासा न किया जाना, साक्षीगण की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे **रामकेशरा उर्फ़ रामेश्वर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**[2] के प्रकरण में पारित निर्णय पर

[1] 2008 (1) सी०जी०एल०जे० 210 (डी०बी०)
[2] 2008 (3) सी०जी०एल०जे० 86 (डी०बी०)

भरोसा किया है, जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जिस एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की घटना के समय उपस्थिति ही संदिग्ध हो, उसके कथन के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करना उचित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसके अतिरिक्त **महमूद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[3] के निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा प्रकरण, जो पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, उसमें दोषिता का निष्कर्ष निकालने से पूर्व न्यायालय को दृढ़ रूप से संतुष्ट होना आवश्यक है कि—

(क) जिन परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त के दोषिता का अनुमान लगाया जाना है, वह संदेह के परे एवं साक्ष्य द्वारा पूर्णतः स्थापित की गई हों;

(ख) वह परिस्थितियाँ निश्चायक प्रकृति की हों तथा असंदिग्ध रूप से अभियुक्त के दोषिता की ओर ही संकेत करती हों; तथा

(ग) समस्त परिस्थितियों का सामूहिक रूप से ऐसा होना आवश्यक है कि वे अभियुक्त के दोषिता के अतिरिक्त किसी भी अन्य परिकल्पना से असंगत हो।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **चित्तू उर्फ हेमंत एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)**[4] के प्रकरण में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य के मध्य विरोधाभास होना, पहचान कार्यवाही में विलंब होना तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को अभियुक्त के बारे में पूर्व से ज्ञान होने के बावजूद उसके नाम का उल्लेख न किया जाना, ये सभी परिस्थितियाँ अभियोजन के प्रकरण को संदेहास्पद बना देती हैं। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे **मुलुवा आत्मज बिंदा एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[5] के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसमें यह अवधारित किया गया कि किसी दुर्बल साक्षी का साक्ष्य केवल इस आधार पर विश्वसनीय नहीं हो जाता कि उसकी पुष्टि उसी प्रकार के अनेक साक्षियों द्वारा की गई है, क्योंकि साक्ष्य को गिना नहीं, बल्कि तौला जाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) राज्य की ओर से उपस्थित राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया गया कि यद्यपि दुकलाबाई (अ०सा०-2) एवं गोटीलाल (अ०सा०-3) के साक्ष्यों में कुछ त्रुटियाँ, विसंगतियाँ एवं विरोधाभास हैं, किन्तु वे शहर से दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्र के साधारण ग्रामीण साक्षी हैं, अतः उनके साक्ष्यों में इस प्रकार की त्रुटियाँ स्वाभाविक हैं। उन्होंने अभियोजन के प्रकरण का पर्याप्त समर्थन एवं पुष्टीकरण किया है। दुकलाबाई (अ०सा०-2) तथा गोटीलाल (अ०सा०-3) के साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से भी पूर्णतः: संपुष्ट हैं। घटना दिनांक 02-03-1991 को घटित हुआ था तथा उसी दिन रात्रि 8:15 बजे अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मर्ग दर्ज किया गया था। अगले दिन अर्थात् 03-03-1991 को नामजद देहाती नालिशी दर्ज किया गया था। दुकलाबाई (अ०सा०-2) एवं गोटीलाल (अ०सा०-3) के कथन प्रदर्श डी/2 एवं डी/3 दिनांक 03-03-1991 को ही दर्ज किए गए थे। उनके कथन समयोचित रूप से दर्ज किए गए हैं तथा देहाती नालिशी तथा उसके आधार पर दर्ज प्रथम सुचना पत्र में भी अपीलार्थी का नाम स्पष्ट रूप

---

[3] ए०आई०आर० 1976 एस०सी० 69

[4] 2005 (2) सी०जी०एल०जे० 67

[5] ए०आई०आर० 1976 एस०सी० 989

से उल्लेखित है। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष द्वारा अन्वेषण अधिकारी, जिसने उनके कथन दर्ज किए थे, से इस संबंध में कि कथन दर्ज करने में किसी प्रकार की विलंब हुआ अथवा नहीं संबंधी कोई प्रश्न नहीं किया। अतः विलंब संबंधी तर्क का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन करते हुए अपीलार्थी को विधिपूर्वक दोषसिद्ध एवं दंडित किया है, अतः आक्षेपित निर्णय पूर्णतः न्यायोचित है।

(11) राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश**[6] के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा साक्षीगण के कथन दर्ज करने में हुए विलंब मात्र से अभियोजन का कथन स्वतः ही संदेहास्पद नहीं हो जाता। यदि बचाव पक्ष इस विलंब को चुनौती देना चाहता है तो यह आवश्यक होगा कि वह अन्वेषण अधिकारी से इस संबंध में प्रश्न पूछे एवं विलंब का स्पष्टीकरण मांगे। ऐसे किसी प्रश्न के अभाव में, कथन दर्ज करने में हुई विलंब अभियोजन के लिए घातक नहीं मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त, विद्वान अधिवक्ता द्वारा **विजय कुमार अरोड़ा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन)**[7] के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि साक्षीगण के कथन दर्ज करने में हुआ विलंब तब तक अभियोजन के लिए घातक नहीं होता जब तक कि अन्वेषण अधिकारी से विलंब के कारणों के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता और उससे ऐसा स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता कि कथन विलंब से क्यों दर्ज किया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) हमने तर्कों के परीक्षण हेतु अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का हमने सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। वर्तमान प्रकरण में, मृतका की मृत्यु पूर्व प्राण घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुई मानव वध को अपीलार्थी द्वारा विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गयी है; इसके विपरीत, यह तथ्य डॉ. चन्द्रशेखर पटेल (अ०सा०-7) के साक्ष्य तथा शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी/7 से भी पूर्ण रूप से सिद्ध होता है, जिसके अनुसार मृतका के शरीर पर कुल आठ चोटें पाई गईं, जिनमें बाईं ओर की 9वीं एवं 10वीं पसलियों का फ्रैक्चर, प्लीहा का फटना, तथा गर्दन दबाए जाने के स्पष्ट लक्षण सम्मिलित हैं, और मृत्यु को मानव वध का बताया गया है। अभियोजन द्वारा मृतका की मृत्यु से पूर्व बलात्कार किए जाने के संबंध में भी विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है। पंचनामा प्रदर्श पी/1 में मृतका के गुप्तांग पर चोट का उल्लेख है। चिकित्सक द्वारा यह मत अभिव्यक्त किया गया है कि मृतका के साथ मृत्यु से पूर्व यौन संबंध स्थापित किया गया था। स्लाइड को रासायनिक परीक्षण हेतु प्रदर्श पी/14 के माध्यम से भेजा गया, तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन प्रदर्श पी/15 में वीर्य एवं शुक्राणु की उपस्थिति की पुष्टि की गई है। मृतका 25 वर्ष की विवाहित महिला थी। यदि उसके साथ सहमति से संभोग किया गया होता, तो उसके गुप्तांग पर किसी प्रकार की खरोंच या कटे-फटे मौजूद होने का कोई कारण नहीं था, न ही शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें मौजूद होने का कोई औचित्य था। उसके गुप्तांग पर आई चोटें, शरीर के अन्य भागों पर पाए गए

---

[6] ए०आई०आर० 2005 एस०सी० 1000

[7] (2010) 2 एस०सी०सी० 353

घाव, तथा उसके योनि मार्ग में पाए गए वीर्य एवं शुक्राणु की उपस्थिति, ये सभी तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध करते हैं कि मृतका के विरुद्ध मृत्यु से पूर्व बलात्कार कारित की गई थी।

(13) अभियुक्त/अपीलार्थी की संलिप्तता के संबंध में, दोषसिद्धि मुख्य रूप से कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी दुकलाबाई (अ०सा०-2) एवं गोतीलाल (अ०सा०-3) के साक्ष्य पर आधारित है। दुकलाबाई (अ०सा०-2) ने अपने कथन में कहा है कि घटना के दिन वह मृतका गौतरहिनबाई के साथ गोबर बिनने गई थी तथा दोनों अलग-अलग स्थान पर गोबर बीन रही थीं। कुछ समय बाद उसने देखा कि मृतका गौतरहिनबाई नाले के गड्ढे में पड़ी हुई थी तथा अपीलार्थी मृतका के गुप्तांग में अपना गुप्तांग स्थापित कर रहा था। जब मृतका उठने लगी तो अपीलार्थी ने उसकी साड़ी गर्दन में लपेटकर बांधी, जिससे मृतका ज़मीन पर गिर गई। उसके बाद अपीलार्थी मृतका को नाले की ओर घसीटने लगा। उसी समय अभियुक्त ने दुकलाबाई को देख लिया और उसकी ओर दौड़ते हुए उसे धमकाया कि यदि उसने यह घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। तत्पश्चात वह नाले के ऊपर गई, जहाँ उसका गोबर से भरी टोकरी राखी थी। उसके बाद गोतीलाल (अ०सा०-3) वहाँ आया और उसकी सहायता से उसने टोकरी उठाया तथा अपने घर चली गई। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी का विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया गया है। प्रतिपरीक्षण के कंडिका 11 में उसने स्वीकार किया है कि घटना शनिवार को हुई थी, तथा अगले दिन पुलिस आई और उसे एवं गोतीलाल को थाना बिलाईगढ़ ले गई जहाँ वे 11-12 बजे के बीच पहुँचे और 3 बजे वापस आए। दूसरे दिन ही पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था जिसमें उसने घटना के बारे में जानकारी दिया था। कंडिका 15 में उसने कथन किया है कि जब वह गोबर बीन रही थी, तभी उसने गौतरहिनबाई को देखा और उस समय अपीलार्थी मृतका के साथ संभोग कर रहा था। कंडिका 16 में उसने कथन किया है कि उसने मृतका तथा अपीलार्थी के बीच किसी प्रकार की हाथापाई नहीं देखी थी, बल्कि केवल यह देखी कि अपीलार्थी मृतका के गुप्तांग में अपना गुप्तांग स्थापित कर रहा था। कंडिका 17 के अनुसार, उसने यह भी देखा कि घटना के समय मृतका के मुंह में तथा गर्दन पर साड़ी ठूंसी हुई थी। कंडिका 20 में इस साक्षी ने कथन किया है कि उसने पुलिस को बताया था कि अभियुक्त उसकी ओर दौड़ा और उसे धमकाया, किन्तु यह तथ्य उसके पूर्व कथन प्रदर्श डी/2 में परिलक्षित नहीं होता है।

(14) कंडिका 23 में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने गोतीलाल से कोई बातचीत नहीं की थी। वहाँ किशनो भी उपस्थित था। कंडिका 24 में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब वह गोबर कि टोकरी सिर पर रख रही थी, तभी अभियुक्त उसकी ओर दौड़कर आया और उससे अपनी भैंसों के बारे में पूछा, जिस पर उसने कहा कि उसने नहीं देखा है। उसके कंडिका 26, 27 एवं 28 के कथनों के अनुसार, पूछे जाने के बावजूद उसने यह तथ्य प्रकट नहीं किया कि उसने घटना को अपनी आँखों से देखा था, तथा इस संबंध में उसने गलत स्पष्टीकरण दिया है। परंतु कंडिका 34 में उसने कथन किया है कि वह धमकी के कारण भयभीत थी, इसलिए उसने प्रारंभ में यह तथ्य नहीं बताया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(15) गोतीलाल (अ०सा०-3) ने अपने बयान में कहा है कि उस समय दुखलाबाई (अ०सा०-2) के अनुरोध पर उसने उसका टोकरी सिर पर रखने में मदद की, उसके बाद दुखलाबाई अपने घर की ओर चली गई और वह बकरियाँ चराने चला गया। बकरियाँ इकट्ठा करते समय उसने देखा कि अपीलार्थी ने एक महिला के गले में साड़ी बाँधकर उसे घसीटा और पानी से भरे गड्ढे में पटक दिया। अपने घर की ओर बकरियों के साथ लौटते समय अपीलार्थी उसके पास आया और उससे पूछा कि क्या उसने उसकी भैंसें देखी हैं, जिस पर उसने बताया कि उसकी भैंसें नाले के पास चर रही थीं। उसने आगे कथन किया है कि जब उसके पिता ने उसे बताया कि उसकी भाभी गौतरहिनबाई की हत्या कर दी गई है, तब उसने कहा कि उसने घटना देखी है और अपीलार्थी एक महिला को घसीट रहा था, लेकिन वह यह पहचान नहीं पाया कि वह महिला गौतरहिनबाई थी या नहीं। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी में किशनो की उपस्थिति स्वीकार की है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि दुखलाबाई के सिर पर टोकरी रखने के अलावा उसकी उससे कोई बातचीत नहीं हुई थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस उसके घर आई थी, पुलिस उसे, दुखलाबाई और किशनो को थाने ले गई थी और वे वापस आए, परंतु पुलिस द्वारा उसके साथ मारपीट नहीं किया गया था। कंडिका 16 में उसने स्वीकार किया है कि दूसरे दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच उसने घटना के बारे में जानकारी दी थी।

(16) निःसंदेह उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों में कुछ लोप एवं विरोधाभास पाए गए हैं। गोतीलाल (अ०सा०–3) ने विशेष रूप से यह कथन किया है कि जब वह अपने घर पहुँचा, तब उसके पिता ने बताया कि उसकी भाभी गौतरहिनबाई की हत्या कर दी गई है, तब उसने उन्हें यह घटना की जानकारी दी। पहले पुलिस ने उससे पूछताछ किया था और तब उसने पुलिस को घटना की जानकारी दी थी। प्रदर्श डी/3 इस साक्षी का बयान है, जो पुलिस द्वारा दिनांक 3.3.1991 को दर्ज किया गया था, अर्थात उसी दिन जब पुलिस ने देहाती नालिशी दर्ज की थी। देहाती नालिशी प्रदर्श पी/12 में भी यह उल्लेख है कि दुखलाबाई और गोतीलाल घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे। दुखलाबाई ने घटना वाले दिन, मृतका के परिजनों द्वारा पूछे जाने पर भी, घटना का खुलासा नहीं किया था। उसने इसका स्पष्टीकरण दिया कि अभियुक्त ने उसे धमकी दी थी। यद्यपि यह तथ्य उसके पूर्व कथन प्रदर्श डी/2 में नहीं है, परंतु प्रदर्श डी/2 तथा उसके प्रतिपरीक्षण के कंडिका 24 से यह स्पष्ट होता है कि जब वह टोकरी लेकर घर जा रही थी, तब अपीलार्थी उसके पास आया और उससे अपनी भैंसों के बारे में पूछा, जिस पर उसने कहा कि उसने भैंसें नहीं देखीं है। इससे यह परिलक्षित होता है कि इस साक्षी ने घटना देखी थी, और जब अपीलार्थी उसके पास आया तो वह भयभीत हो गई, जिसके कारण उसने कुछ समय तक घटना का खुलासा नहीं किया। परंतु अंततः अगले दिन विवेचना के दौरान, उसने पुलिस को पूरी घटना बताई, जिसे पुलिस ने दिनांक 3.3.1991 को प्रदर्श डी/2 के रूप में दर्ज किया।

(17) बचाव पक्ष द्वारा दुखलाबाई (अ०सा०–2) और गोतीलाल (अ०सा०–3) के कथनों में कथित विरोधाभास एवं टकराव पर अत्यधिक बल दिया है और यह तर्क किया है कि यदि दोनों के कथनों पर विचार किया जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ने अलग-अलग दो घटनाएँ देखी हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(18) हमने दोनों साक्षीगण के कथनों का सूक्ष्म परीक्षण किया है। दुखलाबाई (अ०सा०–2) ने अपने कथन में कहा है कि जब उसने मृतका और अभियुक्त को देखा, उस समय मृतका जमीन पर पड़ी हुई थी तथा अभियुक्त उसके साथ बलात्कार कर रहा था। उस समय मृतका की साड़ी उसके मुंह में ठूँसी हुई थी और गले पर लिपटी हुई थी। बाद में जब मृतका उठी तो अभियुक्त ने उसकी साड़ी गले में बाँधी और उसे नहर की ओर घसीटकर ले गया। इस दौरान अभियुक्त उसके (दुखलाबाई) पास दौड़कर आया और उसे धमकाया, यद्यपि यह धमकी से संबंधित तथ्य उसके पूर्व कथन प्रदर्श पी/2 में नहीं मिलता, किन्तु उसके कथन के कंडिका 24 तथा प्रदर्श पी/2 से यह स्पष्ट है कि जब वह टोकरी लेकर घर की ओर जा रही थी, तब अभियुक्त उसके पास आया, जिससे वह डर गई। गोतीलाल (अ०सा०–3) के कथन से स्पष्ट होता है कि उसने मृतका के साथ हुए बलात्कार की घटना नहीं देखी, परंतु उसने वह हिस्सा देखा जब अभियुक्त मृतका को नहर की ओर घसीट रहा था। दोनों साक्षीगण के कथन स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उन्होंने एक ही घटना के विभिन्न चरण देखे हैं। पहला चरण दुखलाबाई ने देखा और दूसरा चरण गोतीलाल ने। अतः दोनों के कथनों में किसी प्रकार का ऐसा टकराव या विरोधाभास नहीं है जिससे अभियोजन की कहानी अविश्वसनीय प्रतीत हो।

(19) सहायक उप-निरीक्षक अरुण कुमार साखरिया (अ०सा०–9) ने विवेचना पूर्ण की है। इस साक्षी ने अपने कथन के कंडिका 13 एवं 14 में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उन्होंने दुखलाबाई एवं गोतीलाल के कथन क्रमशः प्रदर्श पी/2 तथा प्रदर्श पी/3 उनके बताए अनुसार ही लिखा है। बचाव पक्ष द्वारा इन साक्षीगण का विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया है। कंडिका 19 में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि दिनांक 3.3.1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे वह गाँव पहुँचा, पंचनामा तैयार किया तथा मृत देह को शव परीक्षण हेतु भेजा। उसने यह भी स्वीकार किया कि शव भेजते समय उसे यह ज्ञात नहीं था कि गौतरहिनबाई की हत्या किसने की है। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 26 में उसने स्वीकार किया है कि साक्षीगण के कथन के आधार पर ही देहाती नालिशी दर्ज की गई है। कंडिका 29 में उसने स्वीकार किया कि दिनांक 3.3.1991 को रात्रि लगभग 9 बजे उसे यह जानकारी मिली थी कि अभियुक्त ने गौतरहिनबाई की हत्या की है, तब उसने अभियुक्त के बारे में पूछताछ की, पर वह गाँव में उपस्थित नहीं था। दिनांक 5.3.1991 को प्रातः 11 से 12 बजे के मध्य, उप-निरीक्षक जे०पी० दुबे ने अभियुक्त को ग्राम मड़वा के पास छिपा हुआ पकड़ा था। इस साक्षी का बचाव पक्ष द्वारा विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया गया है किन्तु यह प्रश्न नहीं पूछा गया कि दुखलाबाई (अ०सा०–2) एवं गोतीलाल (अ०सा०–3) के कथन कथित विलंब से क्यों दर्ज किए गए। उनके कथन दिनांक 3.3.1991, अर्थात घटना के दूसरे दिन ही दर्ज किए गए थे। मर्ग जांच के दौरान ही उनके कथनों के आधार पर देहाती नालिश प्रदर्श पी/12 दर्ज किया गया था। इस प्रकार दुखलाबाई एवं गोतीलाल के कथन दर्ज करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं है। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष द्वारा इन साक्षीगण के कथन दर्ज करने में विलंब के संबंध में कोई प्रश्न भी नहीं पूछा गया है।

(20) इस माननीय न्यायालय द्वारा **शंकर उर्फ़ टुनू** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में पाँच दिन की देरी से दर्ज कथन के आधार पर साक्षी पर अविश्वास किया गया था, किन्तु वर्तमान प्रकरण में घटना की सूचना दिनांक 02.03.1991 को शाम 8:15 बजे दी गई थी तथा साक्षीगण के कथन दूसरे दिन,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अर्थात् 24 घंटे के भीतर, देहाती नलिशी दर्ज करते समय ही ले लिए गए थे। अतः **शंकर उर्फ़ टुनू** (पूर्वोक्त) का प्रकरण वर्तमान मामले से सर्वथा भिन्न एवं असंगत है।

(21) इस माननीय न्यायालय द्वारा **रामकेशरा उर्फ़ रमेश्वर** (पूर्वोक्त) में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की उपस्थिति संदिग्ध प्रतीत होने तथा किसी महत्वपूर्ण साक्षी के परीक्षण न होने के कारण अभियुक्तगण की दोषसिद्धि निरस्त की गई थी, किन्तु वर्तमान प्रकरण में दुकलाबाई (अ०सा०–2) तथा गोटीलाल (अ०सा०–3) के प्रमाण स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वे घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति पर कोई संदेह या शंका की गुंजाइश नहीं है। घटनास्थल के आसपास तीन व्यक्तियों के होने का उल्लेख है, जिनमें से अभियोजन पक्ष ने दो साक्षीगण का परीक्षण किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मुलुवा** (पूर्वोक्त) में यह अभिप्रेत किया गया है कि साक्ष्य की संख्या नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अभियोजन के लिए सभी साक्षीगण का परीक्षण किया जाना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार **रामकेशरा उर्फ़ रमेश्वर** (पूर्वोक्त) के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न हैं तथा इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं।

(22) वर्तमान प्रकरण में मर्ग सूचना में अभियुक्त का नाम इसलिए उल्लेखित नहीं है क्योंकि उस समय अन्वेषण अधिकारी ने उन साक्षीगण का परीक्षण नहीं किया था जिन्होंने स्वयं घटना को देखा था। बेदुल (अ०सा०–1), जो मृतका गौतारहिनबाई का पति है, द्वारा मर्ग सूचना दर्ज कराई गई थी, जबकि घटना के समय वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। उसने पुलिस को वही बताया जो वह जानता था, किन्तु विवेचना के दौरान पुलिस को अभियुक्त के विषय में जानकारी प्राप्त हुई तथा उसका नाम देहाती नलिशी एवं प्रथम सूचना पत्र में उल्लेखित किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(23) इस माननीय इस न्यायालय द्वारा **चित्तू उर्फ़ हेमंत एवं अन्य** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में चिकित्सीय साक्ष्य तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य में विरोधाभास होने तथा उस स्थिति में कि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य अभियुक्त का नाम जानता था, फिर भी प्रथम सूचना पत्र में अभियुक्त का नाम नहीं पाया गया, अभियुक्तगण को लाभ का संदेह प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया गया था। परंतु वर्तमान प्रकरण में, मर्ग की सूचना देने वाले बेदुल (अ०सा०–1) स्वयं अभियुक्त के नाम से परिचित नहीं था। बाद में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के कथनों के आधार पर अभियुक्त का नाम देहाती नलिशी में विधिवत दर्ज किया गया था। अतः **चित्तू उर्फ़ हेमंत एवं अन्य** (पूर्वोक्त) के मामले के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न हैं और लागू नहीं होते है।

(24) जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मुलुवा** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन पर यह दायित्व है कि वह विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने मामले को सिद्ध करे तथा किसी दुर्बल साक्षी का कथन केवल इसलिए विश्वसनीय नहीं हो जाता कि उसी प्रकार के अन्य साक्षीगण द्वारा उसका समर्थन किया गया हो। वर्तमान प्रकरण में दुकलाबाई (अ०सा०–2) तथा गोतीलाल (अ०सा०–3) दुर्बल साक्षी नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से उस भाग को अपने कथनों में प्रस्तुत किया है जिसे उन्होंने स्वयं देखा था, और उनके कथन का समर्थन उनके पूर्व कथनों, प्रथम सूचना पत्र, तथा चिकित्सीय साक्ष्य से होता है।

(25) निःसंदेह, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य तथा विजय कुमार अरोड़ा (पूर्वोक्त) प्रकरणों में अभिनिर्धारित किया गया है, बचाव पक्ष द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के कथन दर्ज करने में हुए विलंब के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। तथापि, वर्तमान प्रकरण में अभियोजन द्वारा साक्षीगण के कथन दर्ज करने में किसी प्रकार का विलंब ही नहीं है।

(26) यह प्रश्न कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षीगण के कथन दर्ज करने में हुई विलंब का क्या प्रभाव होगा, इस पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बोधराज उर्फ़ बोधा एवं अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य**[8] के प्रकरण में प्रतिपादित किया है कि ऐसा कोई सार्वभौम नियम नहीं है कि यदि किसी साक्षी का कथन दर्ज करने में विलंब हुआ है तो अभियोजन का संस्करण संदेहास्पद हो जाएगा। यदि विलंब के लिए प्रस्तुत स्पष्टीकरण तर्कसंगत एवं स्वीकार्य हो तथा न्यायालय उसे विश्वसनीय मान ले तो ऐसे निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जब अभियुक्त यह अभिवचन करता है कि साक्षीगण के कथन दर्ज करने में असामान्य विलंब हुआ है, तब अन्वेषण अधिकारी से विशेष रूप से यह पूछा जाना आवश्यक है कि उक्त विलंब के क्या कारण थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(27) वर्तमान प्रकरण में, हमने दुकलाबाई (अ०सा०–2) तथा गोटीलाल (अ०सा०–3) के कथनों का सूक्ष्म परीक्षण किया है। उनका साक्ष्य यह सिद्ध करने हेतु पर्याप्त है कि दुकलाबाई ने घटना का वह भाग देखा, जिसमें अपीलार्थी मृतका के साथ बलपूर्वक संभोग कर रहा था तथा जब मृतका उठने का प्रयास करी, तब अपीलार्थी उसके गले में साड़ी लपेटकर उसे नहर की ओर घसीटकर ले गया। घटना का दूसरे भाग अर्थात् अपीलार्थी द्वारा किसी स्त्री को नहर की ओर घसीटना तथा शव को गड्ढे/जल भराव वाले स्थान में डालने का प्रत्यक्ष दर्शन गोटीलाल (अ०सा०–3) ने किया है। व्यापक प्रतिपरीक्षण के बावजूद दोनों साक्षी अपने-अपने कथनों पर दृढ़ रहे हैं। उनके कथन घटना के दूसरे ही दिन पूछताछ के दौरान बिना किसी अनुचित विलंब के दर्ज किए गए हैं। अपीलार्थी द्वारा मृतका के साथ बलात्कार तथा उसे चोट पहुँचाने के तथ्य की पुष्टि शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी/7 तथा रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी/15 से पर्याप्त रूप से होती है। डॉ. चन्द्रशेखर पटेल (अ०सा०–7) के साक्ष्य के अनुसार, उन्होंने अपीलार्थी का परीक्षण दिनांक 5.3.1991 को किया तथा उसके बाएँ हाथ के बाहरी हिस्से पर 1 सेमी × 1 सेमी का एक घर्षण-घाव तथा बाएँ घुटने के बाहरी हिस्से पर 1 सेमी × ½ सेमी का एक घर्षण-घाव पाया, जो तीन से चार दिन पुराने थे। अपीलार्थी संभोग करने में सक्षम पाया गया था। हाथ व घुटने पर पाई गई चोटें सामान्य प्रकृति की थीं तथा लगभग 21 वर्ष आयु का पुरुष होने के नाते उसका संभोग करने में सक्षम होना स्वाभाविक है। किन्तु अपीलार्थी द्वारा यह बताने हेतु कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि घटना के समय के अनुरूप उसे ये चोटें कैसे आईं। अपीलार्थी के अधोवस्त्र को भी जब्त कर

[8] (2002) 8 एस०सी०सी० 45

परीक्षण किया गया तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला का प्रतिवेदन प्रदर्श पी/15 में वीर्य एवं मानव शुक्राणु की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। लगभग 21 वर्ष आयु का पुरुष होने के नाते उसके अधोवस्त्र में वीर्य या शुक्राणु की उपस्थिति अस्वाभाविक नहीं होती, यदि अपीलार्थी कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता, परन्तु उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के अभाव में यह परिस्थिति भी अभियोजन के मामले को पुष्ट करती है।

(28) अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के सम्यक् मूल्यांकन के पश्चात्, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 एवं 376 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है। यह दोषसिद्धि का आदेश विश्वसनीय एवं निर्णायक साक्ष्य पर आधारित है तथा विधि के अनुरूप पूर्णतः: स्थिर रखने योग्य है। दुकलाबाई (अ०सा०–2) एवं गोटीलाल (अ०सा०–3) का साक्ष्य अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर उपयुक्त तथा न्यूनतम दण्ड आरोपित किया गया है।

(29) उपर्युक्त कारणों से, हमें इस अपील में कोई भी औचित्य या बल प्रतीत नहीं होता है। अपील निराधार होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है तथा इसे खारिज किया जाता है। अपीलार्थी वर्तमान में जमानत पर है, उसे निर्देशित किया जाता है कि वह सत्र प्रकरण क्रमांक 315/91 में अधिरोपित अविशिष्ट दण्ड को भुगतने हेतु अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार के समक्ष तत्काल समर्पण करे।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
टी०पी० शर्मा
न्यायाधीश

सही/-
आर०एल० झंवर
न्यायाधीश

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिसाबित माना जाएगा एवं कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Anusha Naik, Advocate